न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 477 / 2014

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2005 / 00005

वादीगण

1 नैना वल्द हरिंगा के कायम मुकाम

(क) पारू बैवा नैना

(ख) किशनलाल पुत्र नेना

(ग) लाडूराम पुत्र नेना

2 स्व. जीवा वल्द गुणेशा के कायम मुकाम

(अ) रामलाल पुत्र जीवा

(ब) मांगाराम पुत्र जीवा

(स) मंगला पुत्र जीवा

(द) मु. हीरा देवी बैवा जीवा

जातियान–बिश्नोई, साकिनान्–पालड़ी सोलंकियान, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

प्रतिवादीगण

1 नर्मदा नहर परियोजना सांचौर जरिये सहायक अभियन्ता उपखण्ड द्वितीय सांचौर

2 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर जालोर

3 तहसीलदार सांचौर, जिला–जालोर

दावा बाबत् खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 05.10.2005

उपस्थिति :–

1. वादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुलाल पालड़िया एवं श्री जालाराम पुनिया उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद बालोत उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 21.07.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा पालड़ी सोलंकियान में वादीगण के खातेदारी व कब्जाकाश्त की आराजी खसरा संख्या 147 रकबा 47 बीघा स्थित है जिसके द्वितीय भू–प्रबन्ध में नवीन खसरा नंबर [illegible] रकबा [illegible] हैक्टेयर व खसरा नंबर 368 रकबा 7.56 हैक्टेयर तजवीज हुए है। वादीग[illegible] के उक्त खेत खसरा नंबर 147 रकबा 47 बीघा में से 7 [illegible] बीघा भूमि नर्मदा नहर परियोजना सांचौर द्वार अवाप्ति की है जिसका वादीगण को प्रति बीघा 5400/ रूपये प्रतिबीघा की दर से 41499.00 अक्षरे ईकतालिस हजार चार सौ [illegible]नवे रूपये का मुआवजा दिया गया है। अभी महिना भर पूर्व हल्का पटवारी धमाणा वादीगण के खेत क़ी गिरदावरी करने आये तब हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड से जानकारी हुई है कि प्रतिवादीगण ने अवाप्तिसुदा रकबे से अधिक रकबा का म्यूटेशन भरकर ज्यादा रकबा की खातेदारी अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:36:59 IST
Reason: SelfAttested

नाम हस्तांतरित करवा ली है। नर्मदा नहर परियोजना सांचौर के प्रयोजनार्थ प्रतिवादीगण ने वादीगण के खातेदारी खेत खसरा नंबर 147 रकबा 7.682 बीघा अवाप्त किया है तदनुसार वादीगण के नवीन खसरा नंबर 367 रकबा 0.05 हैक्टेयर संपूर्ण व खेत खसरा नंबर 368 रकबा 7.56 हैक्टैयर में से 1.21 हैक्टेयर जुमले रकबा 1.26 हैक्टेयर अवाप्त किया है मगर प्रतिवादीगण ने जो उक्त अवाप्तसुदा रकबा का म्यूटेशन संख्या 114 दिनांक 22.05.2005 भरकर तद्नुसार जमाबंदी तजवीज की है उसमें वादीगण की आराजी खसरा नंबर 368 रकबा 7.56 हैक्टैयर में से 1.21 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 367 रकबा 0.05 हैक्टैयर कुल 1.26 हैक्टेयर की जगह खेत खसरा नंबर 368 में से 3.56 हैक्टैयर, खेत खसरा नंबर 367 रकबा 0.05 हैक्टैयर कुल 3.61 हैक्टैयर आराजी प्रतिवादीगण ने नर्मदा नहर के खातेदारी में हस्तांतरित कर दी है जिसमें 2.35 हैक्टेयर भूमि वादीगण के खातेदारी की बिना अवाप्त किये प्रतिवादी नं 1 के खातेदारी में दर्ज कर वादीगण की खातेदारी हकूकों पर कुठाराघात किया है इसलिए वादीगण अपने खातेदारी में से प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज रकबा 2.35 हैक्टेयर की खातेदरी हकूकों के घोषणा का अधिकारी है। वादीगण ने उक्त जानकारी के पश्चात नर्मदा नहर परियोजना के प्रतिवादी संख्या 1 के कार्यालय में जाकर इसकी दुरूस्ती की मांग की तो उल्टा प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी से बेदखली की ऐलानियां धमकी दी जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के खातेदारी का महज 1.26 हैक्टेयर भू भाग ही अवाप्त किया है व इतने ही रकबा का मुआवजा अदा किया है मगर प्रतिवादीगण ने वादीगण के खातेदारी खेत का 2.35 हैक्टैयर रकबा बिना किसी अधिकार के प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी में गलत दर्ज किया है। प्रतिवादीगण इसका नाजायज फायदा उठाकर वादीगण को वादग्रस्त भू भाग से बेदखली पर तुले हुए है इसलिए वादीगण को अपने हक हकूकों की रक्षार्थ यह वाद लाना पड़ रहा है। वादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदारी हक हकूकों की घोषणा के व अपने कब्जा काश्त के अधिकार को यथावत भोग करने के अधिकारी है सो एतदर्थ दावा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत है। विनायवाद उस समय पैदा हुआ जबकि प्रतिवादी संख्या 3 ने वादग्रस्त भू भाग वादीगण की खातेदारी में से कम कर प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में बिना विधिसम्मत अधिकार के दिनांक 22.05.2002 को दर्ज कर दिया उसके पश्चात उस समय पैदा हुआ जबकि महिनाभर पहले हल्का पटवारी पालड़ी सोलंकियान के गिरदावरी प्रयोजनार्थ मौके पर आने पर वादीगण को इसकी जानकारी हुई तत्पश्चात उस समय पैदा हुआ जबकि प्रतिवादीगण ने वादीगण को वादग्रस्त [illegible] बेदखली की ऐलानियां धमकी दी। अतः निवेदन है कि खातेदारी [illegible] डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:36:59 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वाद दिनांक 05.10.2005 को दर्ज रजिस्टर [illegible] जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के पुराना खेत खसरा संख्या 147 रकबा 47 बीघा में से भूमि नर्मदा नहर परियोजनार्थ सही अवाप्त की गई है जिसका

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

वादीगण को प्रति बीघा नियमानुसार जो भी मुआवजा राशि बनती है, वह राशि प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को देने के लिए पाबन्द है। अवाप्त भूमि करने हेतु नर्मदा नहर परियोजना विभाग की ओर से नियमानुसार अवाप्ति अधिनियम के तहत धारा 4, 6 व 9 के नियमानुसार कर्यवाही की गई। वादीगण स्वयं को नियमानुसार नोटिस दिया गया। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चस्पा किया गया। अखबार में साया भी करवाया गया। संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात भूमि अवाप्त की जाकर अवाप्त की गई भूमि का राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन भरा जाकर नर्मदा नहर का निर्माण कार्य किया गया। वादीगण ने सारे तथ्य गलत व मनगंढत लिखे है कि उन्हें पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। वादीगण की भूमि में से कुल 3.61 हैक्टेयर भूमि सही अवाप्त की गई है। वादीगण के हक हकूकों पर कतई कुठाराघात नहीं है। वादीगण की भूमि में से कुल 3.61 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई है। वादीगण 2.35 हैक्टेयर भूमि की घोषणा करवाने के कतई अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 के कार्यालय में वादीगण कतई दुरूस्ती हेतु नहीं आए एवं भूमि 3.61 हैक्टेयर अब प्रतिवादी संख्या 1 के विभाग की सम्पति है इसलिए उसे बेदखल करने की एलानियां धमकीयां देने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादीगण का यह कथन कतई गलत है कि वादीगण के खातेदारी में से 1.26 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई है जबकि वास्तविकता यह है कि वादीगण की भूमि में से 3.16 हैक्टेयर भूमि अवाप्ति की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 के विभाग के नाम 2.35 हैक्टेयर रकबा कतई गलत दर्ज नहीं हुआ है अगर वादीगण अवाप्तसुदा भूमि 3.61 हैक्टेयर में दखलंदाजी करेंगे तो उनके विरूद्व नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही करने के लिए विभाग स्वतंत्र है। वादीगण का दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का गलत होने से नामन्जूर है। वादीगण ने बिना आधार का बिना वाद कारण का वाद प्रस्तुत किया है। इस कारण प्रतिवादीगण के विरूद्व कतई बिनायवाद पैदा नहीं होता है। अवाप्ति अधिनियम 4, 6 व 9 का नोटिस वादीगण को नियमानुसार समय समय पर दिया गया, उस वक्त वादीगण ने किसी भी प्रकार की कोई उजरदारी या एतराज प्रस्तुत नहीं किये, जिसकी मियाद काफी गुजर चुकी है। इस कारण मियाद के भीतर वाद पेश होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अवाप्ति अधिनियम के तहत संपूर्ण कार्यवाही होने के पश्चात अब श्रीमान का क्षैत्राधिकार नहीं रहता है तथा वादीगण दावा हाजा पेश नहीं कर सकते है। क्षैत्राधिकार के अभाव में दावा हाजा काबिल खारिज है। अतः वादीगण का वाद खारिज फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:36:59 IST
Reason: SelfAttested

वाद एवं जवाबदावा के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई :-

1. आया प्रतिवादीगण नर्मदा नहर परियोजना सांचौर ने मुझ वादी के खसरा संख्या 147 रकबा 47 बीघा में से 7.682 बीघा अर्थात 7 बीघा 17 बिस्वा भूमि नर्मदा नहर परियोजना सांचौर के मुख्य नहर परियोजनार्थ अवाप्त करके वादी के साथ करार कर उक्त 7 बीघा 17 बिस्वा अवाप्तसुदा रकबा का मुआवजा 41499/ ही वादी को अदा किया।

(जिम्मेवादी)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

2. आया न तो वादीगण की खातेदारी में से प्रतिवादीगण द्वारा 3.61 (22.32 बीघा) भूमि को अवाप्त कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया है एवं न ही वादीगण को 120528 का मुआवजा अदा किया है इसलिए वादग्रस्त रकबा 2.35 हैक्टेयर भूमि का भरा गया नामान्तरकरण संख्या 114 दिनांक 22.05.2002 अवैध व शून्य प्रभावी है तथा वादग्रस्त रकबा की वादीगण को खातेदारी घोषणा का अधिकारी है। (जिम्मे वादी)

3. आया वादीगण को वादग्रस्त आराजी में अपने खातेदारी व कब्जा काश्त के हकों की सुरक्षार्थ स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का विधिसम्मत अधिकारी है।

(जिम्मेवादी)

4. आया वाद कारण के अभाव में वादीगण का वाद खारिज योग्य है।

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या1)

5. आया अवाप्त अधिनियम के तहत नियमानुसार सारी कार्यवाही होने के पश्चात 3.61 हैक्टेयर भूमि का नामान्तरकरण नर्मदा नहर परियोजना विभाग के हक में हुआ है इस प्रकार माननीय अदालत को क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः क्षेत्राधिकार के अभाव में दावा हाजा खारिज योग्य है। (जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1)

6. आया अवाप्त की गई भूमि रकबा 3.61 हैक्टेयर नर्मदा नहर परियोजना भविष्य में डिक्की निर्माण, माइनर वितरिका, पानी के बड़े होद हेतु होने से भूमि अवाप्त की गई है जिस हेतु मुआवजा वादीगण प्राप्त कर लिया है इस कारण वादी का वाद खारिज योग्य है। (जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1)

7. अन्य दादरसी

प्रकरण में उपरोक्त विवाधक कायमी के पश्चात वादीगण द्वारा गवाह पीडब्ल्यू 1 नेनाराम, पीडब्ल्यू 2 हरीगाराम, पीडब्ल्यू 3 जगमाल के बयान लेखबद्व करवाये गये। प्रकरण में उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण की खातेदारी के खेत मौजा पालड़ी सोलंकियान में खेत खसरा संख्या 367 रकबा 0.05 हैक्टेयर व खसरा संख्या 368 रकबा 7.56 हैक्टेयर जो पुराने खेत खसरा संख्या 147 रकबा 47 बीघा से तजवीज हुए खेत खसरा संख्या 147 रकबा 47 बीघा में से 7 बीघा 17 बिस्वा भूमि नर्मदा नहर परियोजना सांचौर द्वारा अवाप्त की जिसका वादीगण को 41499 रूपये मुआवजा दिया गया किन्तु हल्का पटवारी धमाणा से रेकर्ड की जानकारी हुई तो प्रतिवादीगण ने अवाप्तसुदा [illegible] अधिक रकबा का म्यूटेशन भरकर ज्यादा रकबे की खातेदारी अपने नाम हस्तांतरित [illegible] प्रतिवादीगण ने वादीगण के खेत खसरा संख्या 147 रकबा 7.882 बीघा [illegible] किया है तदनुसार वादीगण के नवीन खेत खसरा संख्या 367 रकबा 0.05 हैक्टेयर संपूर्ण [illegible] खसरा संख्या 368 रका 7.56 हैक्टेयर में से 1.21 हैक्टेयर जुमले रकबा 1.26 हैक्टेयर अवाप्त किया है किन्तु प्रतिवादीगण ने अवाप्तसुदा रकबा का म्यूटेशन संख्या 114 भरकर जमाबंदी तजवीज कर दी गई है उसमें 1.26 हैक्टेयर की जगह 3.61 हैक्टेयर आराजी नर्मदा नहर की खातेदारी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kuma
Date: 2025.09.09 18:36:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

हस्तांतरित कर दी जिसमें 2.35 हैक्टेयर भूमि वादीगण के खातेदारी की बिना अवाप्त किये प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज की। इस कारण वादीगण रकबा 2.35 हैक्टेयर की खातेदारी हकूकों की घोषणा करवाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण इसका नाजायज फायदा उठाकर वादीगण की वादग्रस्त आराजी में बेदखली करने पर तुले हुए है। इस कारण वादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदारी हक की घोषणा करवाने के साथ साथ स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने के हकदार है।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अन्त में अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा पालड़ी सोलंकियान की आराजी खसरा संख्या 1326/368 रकबा 3.56 हैक्टेयर की जगह 1.21 हैक्टैयर व खसरा संख्या 367 रकबा 0.05 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 नर्मदा नहर सांचौर के खातेदारी में दर्ज कर खसरा संख्या 1326/368 में अधिक दर्ज रकबा 2.35 हैक्टेयर के खातेदारी हकूकों की उदघोषणात्मक डिक्री पाने के तदनुसार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करवाने के हकदार है।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण को प्रतिबीघा नियमानुसार मुआवजा राशि बनती है वह राशि प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को देने के लिए पाबन्द है। वादीगण द्वारा नियमानुसार भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4, 6 व 9 की कार्यवाही अपनाते हुए वादीगण को नियमानुसार नोटिस दिया जाकर तथा अखबार में छाया करवाकर संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात भूमि अवाप्त की जाकर राजस्व रेकर्ड में विभाग के नाम म्यूटेशन भरकर निर्माण कार्य किया गया है। वादीगण की भूमि में से 3.61 हैक्टेयर भूमि सही अवाप्त की गई है तथा उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के विभाग की संपति है। वादीगण द्वारा हस्तगत वाद म्याद के बाहर पेश किया गया है। वादीगण द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4, 6 व 9 का नोटिस वादीगण को नियमानुसार दिया गया किन्तु उस वक्त वादीगण को उसकी जानकारी होते हुए उजरदारी पेश नहीं की है। इस कारण वादीगण का वाद स्पष्टतया म्याद बाहर है तथा अवाप्ति अधिनियम के तहत संपूर्ण कार्यवाही होने के पश्चात उक्त वाद श्रीमान को सुनने का क्षैत्राधिकार नहीं है तथा क्षैत्राधिकार के अभाव में वादीगण का वाद काबिल निरस्त है।

इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने डी.एन.जे. सुप्रीम कोर्ट 1995 पेज संख्या 310 स्टेट ऑफ बिहार बनाम धीरेन्द्र कुमार एण्ड अदर्स [illegible] पेश की। वादीगण द्वारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस नहीं दिया [illegible] का वाद काबिल खारिज है।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अन्त में अपनी बहस में [illegible]न किया कि वादीगण का वाद वादकारण के अभाव तथा क्षैत्राधिकार के अभाव में तथा वादी ने हस्तगत वाद क्लीन हेण्ड पेश नहीं किया है इस कारण वादी का वाद काबिल निरस्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kuma
Date: 2025.09.09 18:36:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीयात वाईज निर्णय इस प्रकार है :–

<u>तनकी संख्या 01 :–</u> उक्त तनकी सिद्व का करने का जिम्मा वादीगण पर होने से वादीगण ने अपने सशपथ बयान देकर जमाबंदी ईएक्स 1, जमाबंदी ईएक्स 2, नामान्तरकरण ईएक्स 3, मिलान क्षैत्रफल ईएक्स 4, जमाबंदी ईएक्स 5, जमाबंदी ईएक्स 6, विज्ञप्ति 7, विज्ञप्ति ईएक्स 8, नक्शा ईएक्स 10, नोटिस ईएक्स 10, प्राप्ति रसीद ईएक्स 11 व विशेष अधिकार पत्र ईएक्स 12, प्रदर्शित करवाये गये। इस संबंध में वादी नैनाराम पीडब्ल्यू 1 ने अपने बयानों में बताया कि हम वादीगण की पोने आठ बीघा भूमि नर्मदा नहर में अवाप्त की जिसके 41483 रूपये दिये गये। 7 बीघा 17 बिस्वा अवाप्त भूमि के बदले साढे बाईस बीघा भूमि का म्यूटेशन भर दिया। इस गवाह में जिरह में बताया कि मेरी जितनी भी जमीन अवाप्त की उसकी मैंने कोई उजरदारी पेश नहीं की मेरे खातेदारी में से ही अवाप्त अधिकारी ने भूमि अवाप्त की है। मैंने म्यूटेशन संख्या 114 की कोई अपील नहीं की है तथा भूमि अवाप्ति के संबंध में अपील मैंने जालोर कल्क्टर को नहीं की है न ही कार्यवाही की है। यह कहना सही है कि अवाप्ति की गई भूमि की पूरी राशि 1,20,528 रूपये मुझे मुआवजे के दिये गये है। इस संबंध में वादीगण की ओर से गवाह पीडब्ल्यू 2 हरिंगाराम व पीडब्ल्यू 3 जगमाल ने भी सशपथ बयानों में बताया कि नहर वालों ने व पटवारी ने 7 बीघा 17 बिस्वा भूमि नापकर अवाप्त की है तथा शेष भूमि पर कब्जा काश्त नैना का है। इस प्रकार वादी गवाह पीडब्ल्यू 1 के स्वीकारोपित तथ्य अनुसार वादग्रस्त आराजी की संपूर्ण भूमि का मुआवजा प्राप्त करना स्वीकार करने से तथा वादीगण द्वारा धारा 4, 6 व 9 भूमि अवाप्त अधिनियम की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात हस्तगत वाद पेश किया है। ऐसी सूरत में विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा पेश नजीरात स्टेट ऑफ बिहार बनाम धीरेन्द्र कुमार एण्ड अदर्स डी.एन.जे 1995 सुप्रिम कोर्ट पेज संख्या 310 के अनुसार उक्त वाद सुनने का इस न्यायालय को क्षैत्राधिकार नहीं होने से तनकी संख्या 01 वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 02 :–</u> उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादीगण पर होने से वादीगण द्वारा इस संबंध में अपने सशपथ बयानों में बताया कि हमारी अवाप्तसुदा भूमि 7 बीघा 17 बिस्वा भूमि से अधिक भूमि का प्रतिवादीगण ने नामान्तरकरण संख्या 114 भरवाकर अवाप्तसुदा भूमि सें अधिक भूमि की खातेदारी प्राप्त कर ली जो ऐसा खाते[illegible] अवैध व अपास्तनीय है किन्तु वादीगण पीडब्ल्यू 1 ने अपने बयानों में जिरह में बताया कि [illegible] की गई भूमि की पूरी राशि रूपये 1,20,528/– प्राप्त कर ली है तथा यह कहना सही है कि नामान्तरकरण संख्या 114 की कोई अपील नहीं की है यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अगर वादीगण की भूमि अवाप्त से अधिक की खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 114 भरा गया था तो वादीगण को समयावधि के भीतर उक्त नामान्तरकरण संख्या 114 की अपील करने का वादीगण को अधिकार था किन्तु वादी पीडब्ल्यू 1 नैना ने अपने सशपथ बयानों में यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:36:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

स्पष्ट बताया है कि हमने नामान्तरकरण संख्या 114 की कोई अपील पेश नहीं की है। नामान्तरकरण संख्या 114 को अपास्त करवाने हेतु कानूनन नामान्तरकरण अपील करना ही एकमात्र प्रावधान है। ऐसी सूरत मे तनकी संख्या 02 वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03 :– उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादीगण पर है। उक्त तनकी का निर्णय तनकी संख्या 01 में दिया जा चुका है।

तनकी संख्या 04 :– उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादी पर है। इस संबंध में प्रतिवादी की ओर से गवाह डीडब्ल्यू 1 राजेन्द्रप्रकाश ए.ई.एन एन.एस.पी उपखण्ड iind ने अपने सशपथ बयानों में बताया कि उक्त वादग्रस्त आराजी मुख्य नर्मदा नहर से संबंधित है तथा उक्त भूमि की अवाप्ति हेतु नियमानुसार विज्ञप्ति जारी कर धारा 4, 6 व 9 की कार्यवाही की गई तथा प्रकरण में वक्त अवाप्ति खातेदारान् को विधिवत् नोटिस दिया गया जो ईएक्सडी 2 है तथा हल्का पटवारी द्वारा नर्मदा नहर में अवाप्त की गई भूमि का पत्र ईएक्सडी डी3 है तथा मुआवजा राशि खातेदारान् को दी गई जो ईएक्सडी 4 व 5 है तथा कुल राशि 1,20,528/– में से 41499 रूपये वादी ने प्राप्त की शेष राशि लेने से इन्कार किया जो हेड रसीद पर अंकित है। शेष राशि पंचम मद में जमा है जब भी मांग करेंगे अदा कर दी जायेगी। वादग्रस्त आराजी में वर्तमान खातेदार वादीगण नहीं है। इस प्रकार वर्तमान राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 367 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1326/368 रकबा 3.56 हैक्टेयर भूमि के वादीगण खातेदार नहीं है तथा उक्त भूमि सिंचाई विभाग नर्मदा नहर परियोजना सांचौर के नाम दर्ज होना प्रतीत होता है। ऐसी सूरत में तनकी संख्या 04 प्रतिवादीगण अपने पक्ष में साबित करवाने में पूर्णतया सफल रहने से तनकी संख्या 04 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 05 :– उक्त तनकी सिद्व का जिम्मा प्रतिवादी पर है। इस संबंध में प्रतिवादी की ओर से विज्ञप्ति ईएक्सडी1, नोटिस ईएक्सडी2 पेश कर बताया कि वादग्रस्त आराजी नर्मदा नहर परियोजना में अवाप्त की गई जो सन् 1995 में अवाप्त की गई थी किन्तु वादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में उक्त वाद करीब 11 वर्ष बाद पेश किया गया है जो स्पष्टयाः म्याद बाहर है। ऐसी सूरत में तनकी संख्या 05 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kuma
Date: 2025.09.09 18:36:59 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 06 :– उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादीगण पर है। इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से मुआवजा राशि के संबंध में अपने सशपथ बयानों में बताया कि अवाप्त सुदा कुल भूमि मुआवजा राशि रूपये 1,20,528/– बनी है जिसमें से 41,499 रूपये प्राप्त कर ली, जिसकी प्राप्ति रसीद प्रदर्शित करवाई गई तथा शेष राशि वादी के नाम बना दी है किन्तु उक्त राशि वादी लेने से मना करने पर उक्त राशि मद संख्या 5 में जमा है तथा जब भी वादी लेना चाहे दे दी जायेगी। इस प्रकार अवाप्तसुदा भूमि की मुआवजा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

राशि वादी के नाम स्वीकृत हो जाने से हस्तगत वाद में धारा 4, 6 व 9 की कार्यवाही संपूर्ण होने के पश्चात वादीगण द्वारा पेश किया गया है। इस कारण वादीगण का वाद सुनने का इस न्यायालय को क्षैत्राधिकार नहीं होने से तथा प्रतिवादीगण की ओर से पेश नजीरात डी.एन.जे 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज संख्या 310 स्टेट ऑफ बिहार बनाम धीरेन्द्र कुमार एण्ड अदर्स जो हस्तगत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होने से तनकी संख्या 6 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 07 :–</u> उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर है। उक्त प्रकरण की संपूर्ण परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए हम यह पाते है कि अवाप्सुदा आराजी नर्मदा नहर परियोजना के हितार्थ अवाप्त की गई है तथा मौके पर नर्मदा नहर में भूमि अवाप्त की जा चुकी है तथा उक्त वादग्रस्त आराजी की वर्तमान खातेदारी सिंचाई विभाग नर्मदा नहर परियोजना सांचौर के नाम दर्ज होने से विधि के सिद्वान्तों अनुसार एक रेकॉर्डेड खातेदार के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं होने से वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने के हकदार नहीं होने से तनकी संख्या 07 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से वादीगण का वाद म्याद बाहर व इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में नहीं होने से एतद्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

:– आदेश :–

फलतः वादीगण का वाद क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अभाव में तथा म्याद बाहर होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पक्षकारान् अपना अपना खर्चा वहन करें। तदनुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब हो

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर फास्ट–
ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रैक) सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांचौर
फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर)
जिला जालोर

निर्णय आज दिनांक **21.07.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर फास्ट–
ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांचौर
फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर)
जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:36:59 IST
Reason: SelfAttested